

बाल श्रम

Bal Shram

निबंध नंबर :-01

बाल श्रम से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है। जो अवयस्क बच्चों से लिया जाता है। बाल श्रम भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक राष्ट्रीय समस्या है। बाल श्रम के अंतर्गत वैसे सारे कार्य आते हैं जो बच्चों से स्वेच्छा अथवा जबरन कराए जाते हैं।

आज विश्व के अनेक राष्ट्रों ने बाल श्रम व उत्पीड़न से निबटने के लिए अनेक कानून बनाए हैं। हमारे देश में भी बाल श्रम को रोकने हेतु 1986 में एक अधिनियम पारित करवाया गया। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का औद्योगिक व अनावश्यक कार्य लेना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। हमें छोटे-छोटे बच्चे होटलों और लोगों के घरों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चे गरीबी अथवा किसी अन्य कारणों से ऐसा करने को विवश हो जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों में तो कल-कारखानों में चोरी-छुपे छोटे बच्चों से श्रम कराया जाता है। ऐसे में फैक्टरी व कारखाना मालिक कम मेहनताना देकर अपना काम निकाल लेते हैं। इस प्रकार बच्चों का भविष्य तो प्रभावित होता ही है साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।

पूरे विश्व में बाल श्रम को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और कड़े सजा के प्रावधान हैं। हमारे देश में दिन व दिन बढ़ती जनसंख्या और गरीबी के कारण और शिक्षा के अभाव में बच्चे बाल श्रम को प्रेरित होते हैं। अतः हम सभी युवाओं को यह प्रण लेना चाहिए कि हम बाल-श्रम को अपने देश से मिटाने में अपना सहयोग देंगे। केवल सरकार की पहल इसे नहीं मिटा सकती बल्कि हमारी जागरूकता इसे दूर कर सकती है। इस प्रकार निर्धन और बेसहारा बच्चों को जीने की नई राह मिलेगी। समाज के स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने दायरा और बढ़ाना होगा जिससे हर प्रदेश के बच्चे इससे लाभान्वित हो। केवल कानून बना देने से इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लोगों का आपसी सहयोग और जागरूकता समाज के इस बीमारी को मिटा सकेगी।

निबंध नंबर :-02

बाल श्रमिक: एक जटिल समस्या

Bal Shram Ek Jatil Samasya

हमारा देश एक विशाल देश है। इस देश में सभी धर्मों, जातियों, वेश-भूषा व विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। विकास की आधुनिक दौड़ में हम अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। परंतु इतनी सफलताओं के पश्चात् भी जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद, भाषावाद, बेरोजगारी, महँगाई आदि अनेक समस्याएँ हैं जिनका निदान नहीं हो सका है अपितु उनकी जड़ें और भी गहरी होती जा रही हैं। बाल-श्रम भी ऐसी ही एक समस्या है जो धीरे-धीरे अपना विस्तार ले रही है।

इस समस्या का जन्म प्रायः पारिवारिक निर्धनता से होता है। हमारे देश में आज भी करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भरपेट रोटी भी बड़ी कठिनाई और अथक परिश्रम के बाद प्राप्त होती है। उनका जीवन अभावों से ग्रस्त रहता है। इन परिस्थितियों में उन्हें अपने बच्चों के भरण-पोषण में अत्यंत कठिनाई उठानी पड़ती है। जब परिस्थितियाँ अत्यधिक प्रतिकूल हो जाती हैं तो उन्हें विवश होकर अपने बच्चों को काम-धंधे अर्थात् किसी रोजगार में लगाना पड़ता है। इस प्रकार ये बच्चे असमय ही एक श्रमिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं जिससे इनका प्राकृतिक विकास अवरूद्ध हो जाता है।

अभी तो तेरे पंख उगे थे,
अभी तो तुझको उड़ना था।
जिन हाथों में कलम शोभती,
उनमें कुदाल क्यों पकड़ाना था।
मूक बधिर पूरा समाज है,
उसे तो चुप ही रहना था।

देश मे श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बालक बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। देश में लगभग 6 करोड़ से भी अधिक बाल श्रमिक हैं जिनमें लगभग 2 करोड़ से अधिक लड़कियाँ हैं। यह बाल श्रमिक देश के सभी भागों में छिटपुट रूप से विद्यमान हैं। देश के कुछ भागों, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में इन श्रमिकों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है।

देश में बढ़ती हुई बाल-श्रमिकों की संख्या देश के सम्मुख एक गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। यदि समय रहते इसको नियंत्रण में नहीं लाया गया तब इसके दूरगामी परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। हमारी सरकार ने बाल-श्रम को अपराध घोषित कर दिया है परंतु समस्या की जड़ तक पहुँचे बिना इसका निदान नहीं हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि हम पहले मूल कारणों को समझने व दूर करने का प्रयास करें। बाल-श्रम की समस्या का मूल है निर्धनता और अशिक्षा। जब तक देश में भुखमरी रहेगी तथा देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी रहेंगी।

देश में बाल श्रमिक की समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर प्रयास आवश्यक हैं। यह आवश्यक है कि देश में कुछ विशिष्ट योजनाएँ बनाई जाएँ तथा उन्हें बच्चों को श्रम की ओर विवश न करना पड़े। प्रशासनिक स्तर पर सख्त से सख्त निर्देशों की आवश्यकता है जिससे बाल-श्रम को रोका जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रमिक की समस्या का निदान हम सभी का नैतिक दायित्व है। इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए तथा इसके विरोध में सदैव आगे आना चाहिए।

हमें विश्वास है कि हमारे प्रयास सार्थक होंगे तथा बाल श्रमिक की समस्या का उन्मूलन हो सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था जन्म लेगी जिससे पुनः किसी बालक को अपना बचपन नहीं खोना पड़ेगा। ये सभी बच्चे वास्तविक रूप में बड़ सकेगें तथा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर देश को गौरवान्वित करेंगे। कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा को बढ़ावा न दे सके। बाल श्रमिक की समस्या के निदान के लिए सामाजिक क्रांति आवश्यक है ताकि लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए देश के इन भावी निर्माताओं व कर्णधारों के भविष्य पर प्रश्न-चिह्न न लगा सकें।

बाल श्रम- एक सामाजिक अपराध

Bal Shram Ek Samajik Apradh

प्रस्तावना- सामान्यतः बाल श्रम को एक सामाजिक अपराध माना गया है। देश के आज अनेकों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल एवं कॉलेजों में न जाकर मेंहनत-मनदूरी कर अपना पेट भरते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें शिक्षा के प्रति लालस नहीं होती है पर परिवार धन की कमी होने के कारण वे अपनी इच्छा का दमन कर अल्पायु में ही काम-काज कर, शरीर श्रम द्वारा कुछ पैसा कमाने लगते हैं। उनकी इस कमाई से घर के गुजारे का एक हिस्सा चलता है।

बाल श्रम की परिभाषा- सामान्यतः बाल श्रमिक उन बच्चों को कहा जाता है जिनकी आयु 14 वर्ष से कम हो तथा जो संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगार पर लग जाने के कारण शारीरिक, मानसिक विकास में पिछड़ जाते हैं।

बाल श्रम समस्या कैसे?- आज भारत में बाल श्रम एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। बालश्रम करने वाले बच्चों की संख्या करोड़ों के आस-पास है। ये ठीक से पढ़-लिख न जाने के कारण देश की प्रगति में कोई विशेष योगदान नहीं कर पाते।

बाल श्रम के कारण

बाल श्रम के कारणों का सिंहावलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जातिवाद, गरीबी, परिवार का आकार, शिक्षा का स्तर, आय आदि श्रमिक समस्या को गम्भीर समस्या के रूप में प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है।

बाल श्रम रोकने के प्रयास

बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने वर्ष 1987 में 'राष्ट्रीय बाल श्रम' की नीति बनाई। इस नीति में एक विधायी योजना बालकों का लाभान्वित करने के लिए तैयार की गई।

सरकार के अतिरिक्त सरकारी व गैर सरकारी संगठनों, मीडिया तथा समाज भी जनता को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अपने-अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं।

बाल श्रम पुनर्वास के लिए विधायकों एवं पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है। यहां पर बच्चों में शिक्षा की भावना जाग्रत करने के लिए कम फीस ली जाती है तथा कहीं पर सरकार की ओर से ऐसे स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गयी है जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

ऐसे स्कूलों में बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है जिसके द्वारा वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन में तरक्की पाते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं।

समस्या का निदान नहीं- परन्तु फिर भी देश के अनेक गांव एवं शहर ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है और आज भी बच्चों द्वारा कठोर परिश्रम किया जाता है। आज कोई बच्चा फलों का ठेला लगाकर फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कारखाने में काम कर रहा है, कोई बूट-पोलिश कर रहा है, कोई गाड़ी साफ कर रहा है तथा कोई चाय के बर्तन साफ कर रहा है।

जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश को उन्नति प्रदान करने तथा देश का नाम रोशन करने में सहायक है वो आज इस प्रकार का काम कर रहे हैं, यह हमारे व हमारे देश के लिए कितने शर्म की बात है।

छूटकारा कैसे मिले?- इस गहन समस्या से छूटकारा पाने के लिए सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों एवं मीडिया को केवल योजनाएं नहीं बनानी होंगी बल्कि उन योजनाओं के अनुरूप कार्य भी करना होगा।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी का धंधा खूब जोरों पर चल रहा है। कार्यस्थल की अच्छी परिस्थितियां न होने व जोखिमभरे कार्यों में संलग्नता होने के कारण बाल श्रमिक स्थायी रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं।

इस प्रकार बाल श्रम एक अत्यन्त दुःखद एवं दुष्परिणाम भरी समस्या है जिसके लिए एक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से वर्तमान से लेकर भविष्य तक सतत् प्रयास किये जाने चाहियें।

बाल श्रम एक ऐसी बुराई है जिसके लिए समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करनी होगी तथा उनकी सोच बदलनी होगी।

बाल श्रम को रोकने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, बाल श्रम कानूनों में बदलाव, बाल श्रम का पुनर्वास तथा गरीबी रेखा को समाप्त करना होगा।

उपसंहार- बाल श्रमिकों से काम लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि इनमें से कुछ व्यक्ति बालको को अच्छाई के रास्ते पर न ले जाकर उनसे चोरी, डकैती, लूटपात तथा भीख मंगवाने का कार्य भी करवाते हैं। इस प्रकार की योजनाओं के अनुरूप कार्य करने पर ही बाल श्रम की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आज देश के करोड़ों बाल श्रमिकों की आंखे उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हैं, जब उनके उजले सपने सच होंगे।

बाल श्रम की बुराई के रूप में ही देखा जाना चाहिये क्योंकि यह एक प्रकार से इन्सान द्वारा इन्सान के शोषण का भी कार्य है। बच्चों की जो उम्र खेलने-कूदने, पढ़ने-लिखने अपना मानसिक और शारीरिक विकास की होती है, उस उम्र में कठिन परिश्रमभरे कार्य वे भी पैसा कमाने की जरूरत के लिए करते हैं तो उससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। इसे कठोर कानून बनाना तथा सामाजिक चेतना जगाकर ही खत्म किया जा सकता है। समाज में सुधारकों को देखना चाहिये कि जो परिवार इतने गरीब हैं कि बच्चों के श्रम पर ही उनका चूल्हा जलता है, ऐसे परिवारों की आर्थिक सहायता कर और कराकर, उनके बच्चों को पढाई के रास्ते पर डालना चाहिये।